[2023] 4 एस. सी. आर 851

/

तमिलनाडु सरकार और अन्य बनाम

आर. थमराइसलवम ईटीसी। ईटीसी। (2022 की सिविल अपील Nos.1580-1608) 04 मई, 2023

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

भूमि अधिग्रहणःभूमि हड़पने के मामले-एक सरकारी आदेश द्वारा, तमिलनाडु राज्य ने भूमि हड़पने से संबंधित मामलों की जांच के लिए तमिलनाडु में भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया, हालांकि, भूमि हड़पने के मामलों को परिभाषित किए बिना-अन्य सरकारी आदेश द्वारा भूमि हड़पने के मामलों को विशेष रूप से भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए गठित विशेष अदालतों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था-उक्त जी. ओ. के खिलाफ रिट याचिकाएं-उच्च न्यायालय ने जी. ओ. को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि यह भूमि हड़पने में लिप्त लोगों के खिलाफ विशेष मामलों को चुनने और चुनने के लिए कोई मानदंड या दिशानिर्देश नहीं देता है और "भूमि हड़पने" शब्द/वाक्यांश की परिभाषा के अभाव में, एंटी-एल. से जुड़े पुलिस कर्मियों के पास विवेकाधिकार निहित है।भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम और/या अधिनियम नहीं है-किसी भी दिशानिर्देश और/या परिभाषा के अभाव में कि किन मामलों को भूमि हड़पने के मामले कहा जा सकता है, यह पुलिस को किसी भी भूमि हड़पने के मामले को भूमि हड़पने के मामले के रूप में मानने के लिए निरंकुश और दिशाहीन और मनमाने अधिकार देता है जिसकी जांच भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उचित कानून लाने की स्वतंत्रता के साथ जी. ओ. को सही ढंग से रद्द कर दिया-आक्षेपित निर्णय और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

/

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील Nos.1580-1608।

/

निर्णय डनिर्णय बनिर्णय ्निर्णय लनिर्णय ्निर्णय यनिर्णय ूनिर्णय .निर्णय निर्णय पनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय N निर्णय o निर्णय s निर्णय .निर्णय 2 निर्णय 6 निर्णय 8 निर्णय 8 निर्णय 3 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 1 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 7 निर्णय 2 निर्णय 1 निर्णय 6 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 3 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 4 निर्णय 9 निर्णय 2 निर्णय 5 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 1 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 7 निर्णय 5 निर्णय 0 निर्णय 2 निर्णय ,निर्णय 1 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 9 निर्णय 8 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 2 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 8 निर्णय 0 निर्णय 6 निर्णय 0 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 4 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 8 निर्णय 4 निर्णय 1 निर्णय 3 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 1 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय डनिर्णय बनिर्णय ्निर्णय लनिर्णय ्निर्णय यनिर्णय ूनिर्णय .निर्णय निर्णय पनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय एनिर्णय मनिर्णय .निर्णय निर्णय डनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय <निर्णय आनिर्णय ईनिर्णय .निर्णय निर्णय डनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय 2 निर्णय ,निर्णय 7 निर्णय 7 निर्णय 3 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 2 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय 1 निर्णय 0 निर्णय 7 निर्णय 7 निर्णय 5 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 4 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 4 निर्णय 8 निर्णय 1 निर्णय ,निर्णय 1 निर्णय 8 निर्णय 8 निर्णय 7 निर्णय 2 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 1 निर्णय 1 निर्णय 2 निर्णय 6 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 5 निर्णय 8 निर्णय 7 निर्णय 6 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 7 निर्णय 2 निर्णय 1 निर्णय 5 निर्णय ,निर्णय 2 निर्णय 7 निर्णय 5 निर्णय 0 निर्णय 3 निर्णय ,निर्णय निर्णय एनिर्णय .निर्णय

/

851

852

/

[2023] 4 एस सी आर।

27504, 27505 2011 का 8227,8261,10185,25834,26956,2012 का 26957,2014 का 4476,31673,2011 का 26884 और 2015 का 26885 मद्रास उच्च न्यायालय का।

सह

2022 की आपराधिक अपील No.275।

/

आर. शुनमुगासुंदरम, महाधिवक्ता, वी. कृष्णमूर्ति, ए. ए. जी., डॉ. राम शंकर, के. एलंगोवन, एल. शिवकुमार, शारू कुमार, सुवेतन, सुश्री सुजाता बागड़ी, सुश्री शारुमति, यूसुफ, बी. बालाजी, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री नूपुर शर्मा, संजीव कुमार महारा, एस. थानंजयन, सुश्री आइना वर्मा, सुश्री जसवंती अंबुसेल्वम, सुश्री प्रोमिला, के. एस. महादेवन, रंगराजन, सुश्री स्वाति बंसल, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, टी. आर. बी. शिवकुमार।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका संख्या आई. डी. 2 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं में पारित किए गए आक्षेपित सामान्य निर्णय और दिनांक आई. डी. 1 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को अनुज्ञात है और जी. ओ. (सुश्री) सं. 423, गृह (पुलिस XI) विभाग दिनांक 28.07.2011 (इसके बाद 'जी. ओ. सं. 423 दिनांक 28.07.2011' के रूप में संदर्भित) के साथ-साथ जी. ओ. (सुश्री) संख्या 451, गृह (न्यायालय III) विभाग दिनांक 11.08.2011 (इसके बाद 'जी. ओ. संख्या 451 दिनांक 11.08.2011' के रूप में संदर्भित), तमिलनाडु राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।1.1 आपराधिक अपील सं. 275/2022 को मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक ओ. पी. सं. 23641/2019 में पारित दिनांक 04.11.2020 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए प्राथमिकता दी गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मामले को 2012 का सी. सी. सं. 2 होने के कारण विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, लैंड ग्रैबिंग, इरोड के न्यायालय से न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, इरोड की फाइल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

/

/

/

2. तमिलनाडु राज्य ने राज्य में भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालयों, 7 आयुक्तालयों और 28 जिलों में एक-एक प्रकोष्ठ के साथ 36 भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठों के गठन को मंजूरी दी है।उक्त जी. ओ. के परिणामस्वरूप, एक अन्य जी. ओ. नं.

/

तमिलनाडु सरकार बनाम आर. थामराइलवम ई. टी. सी. ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

451 दिनांक 1 जारी किया गया और भूमि हड़पने के मामलों को विशेष न्यायालयों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया, जिनका गठन विशेष रूप से भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए किया गया था।उपरोक्त जी. ओ. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का विषय था।

2.1 आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने जी. ओ. संख्या 423 दिनांक 28.07.2011 को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया है कि यह विशेष व्यक्तियों के खिलाफ विशेष मामलों को चुनने और चुनने के लिए कोई पैमाना या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भूमि हड़पने में लिप्त थे और शब्द/वाक्यांश "भूमि हड़पने" की परिभाषा के अभाव में, भूमि हड़पने विरोधी प्रकोष्ठ से जुड़े पुलिस कर्मियों को यह चुनने और चुनने का विवेक निहित है कि वे किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना चाहते हैं और जांच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी के कारण, शक्ति के दुरुपयोग और दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।जी. ओ. सं. 423 दिनांकित (आई. डी. 1) को अपास्त करते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ए. पी. भूमि हड़पने (निषेध) अधिनियम, 1982 या रिट याचिकाओं के परिणाम के लिए बेहतर विधानों की तर्ज पर कोई भी उचित कानून लाने के लिए स्वतंत्र है।नतीजतन, उच्च न्यायालय ने भी जी. ओ. संख्या 451 दिनांक 11.08.2011 को रद्द कर दिया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान दीवानी अपीलों का विषय है।

/

/

/

/

3. तमिलनाडु राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता श्री आर. शुनमुगासुंदरम पेश हुए।

3.1 तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेशों को यह कहते हुए रद्द करने में गलती की है कि "भूमि हड़पने" के अपराध से संबंधित परिभाषा के अभाव में, भूमि हड़पने से संबंधित मामलों की जांच के लिए गठित विशेष प्रकोष्ठ इस तरह के मामलों की जांच करने में सक्षम नहीं हैं।

/

3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और दुरुपयोग की संभावना पर जी. ओ. संख्या 423 दिनांक 28.07.2011

अपास्त करते हुए करने और अलग करने में गलती की है।यह कि प्राधिकरण द्वारा किसी प्रावधान के दुरुपयोग या दुरुपयोग की संभावना किसी कानून को मनमाना या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला मानने का आधार नहीं हो सकती है।

/

3.3 इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि विशिष्ट समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया गया था

/

तमिलनाडु राज्य में जहां बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं कि गुंडों ने अपनी बाहुबल का उपयोग करके जबरन भूमि पर कब्जा कर लिया है।

3.4 यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि "भूमि हड़पना" अभिव्यक्ति को किसी विशिष्ट परिभाषा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 447,420 और 506 से संबंधित है।

/

4. हमने तमिलनाडु राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता को विस्तार से सुना है।हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश से गुजरे हैं।हम जी. ओ. सं. 423 दिनांकित 28.07.2011 को भी देख चुके हैं, जो नीचे दिया गया हैः“घर (पी. ओ. एल.-XI) विभाग

/

जी. ओ. (सुश्री) सं. 423

तारीखः28.07.2011 पुलिस महानिदेशक, चेन्नई से-4, पत्र पुनः:नहीं.:176388/आर. ए. I (2)/2011, दिनांकः13.07.2011

/

ओ आर डी ई आरः- दिनांकित प्रेस विज्ञप्ति मेंः10.07.2011, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए तमिलनाडु में भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा।

/

2. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के आधार पर, पुलिस महानिदेशक ने Rs.27,71,11,658-के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ राज्य में भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए 410 पुलिस कर्मियों के साथ 39 भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठों के गठन के लिए सरकार को आवश्यक प्रस्ताव भेजे हैं।

/

3. सावधानीपूर्वक जाँच के बाद सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ पुलिस महानिदेशक के प्रस्ताव को स्वीकार करने और तमिलनाडु में राज्य पुलिस मुख्यालयों, 7 आयुक्तालयों और 28 जिलों में एक-एक प्रकोष्ठ के साथ 36 भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठों के गठन के लिए प्रशासनिक मंजूरी देने का फैसला किया है।उन तीन जिलों के मामले में, जिला अपराध शाखा भूमि हड़पने की शिकायतों की जांच संभालेगी।तमिलनाडु में 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल के कर्मचारी पैटर्न को ए में दर्शाया गया है।

/

/

855

तमिलनाडु सरकार बनाम आर. थामराइलवम ई. टी. सी. ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इस आदेश का अनुलग्नक-I।सरकार एक करोड़ रुपये की राशि के लिए वित्तीय मंजूरी भी देती है। 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल के गठन के लिए <आईडी1,842/- (बीस करोड़, दो लाख, आठ हजार, आठ सौ बयालीस रुपये)।आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय रु। 12,51,01,380/- और रु। 7,51,07,462/- क्रमशः, जैसा कि इस क्रम के अनुलग्नक-II से IV में दर्शाया गया है।

/

4. उपरोक्त पैरा 3 में स्वीकृत व्यय को निम्नलिखित संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगाः

“2055-00-पुलिस-संबंधित उप-शीर्षों के अंतर्गत "5. खर्च "नई सेवा" का एक मद है।उचित समय पर विधानमंडल की मंजूरी प्राप्त कर ली जाएगी।विधानमंडल की मंजूरी मिलने तक, खर्च को शुरू में आकस्मिक निधि से अग्रिम रूप से पूरा किया जाएगा, जिसके बारे में आदेश वित्त (बीजी. आई.) विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।पुलिस महानिदेशक, चेन्नई से अनुरोध है कि वे इस आदेश की एक प्रति के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में चालू वर्ष में आकस्मिक निधि से सरकार के वित्त (बीजी. आई.) विभाग को आवश्यक राशि के लिए अग्रिम के लिए आवेदन करें।

उन्हें योजना की कुल लागत, वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए आवश्यक लागत आदि का संकेत देते हुए सरकारी वित्त (बीजी-1) विभाग को पूरक अनुमानों में व्यय को शामिल करने के लिए एक मसौदा व्याख्यात्मक नोट भेजने का भी निर्देश दिया जाता है, ताकि इसे नियत समय में विधायिका के ध्यान में लाया जा सके।

/

/

/

6. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से उसके यू. ओ. संख्या 39471/सी. एम. पी. सी./<आई. डी. 2, दिनांक 28.07.2011 और अतिरिक्त मंजूरी खाता संख्याः337 (तीन सौ सैंतीस)।

/

(राज्यपाल के आदेश से) रामेशराम मिश्रा

/

सरकार के लिए प्रधान सचिव "

5. उपरोक्त जी. ओ. द्वारा, तमिलनाडु सरकार ने भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए 36 भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठों का गठन/गठन किया है।हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन मामलों के प्रकार को भूमि हड़पने के मामले कहा जा सकता है, उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है और/या उक्त जी. ओ. में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

/

संबंधित पुलिस अधिकारी भूमि हड़पने से संबंधित किसी भी मामले को भूमि हड़पने के मामले के रूप अंतर्गत मानेंगे और/या विचार करेंगे, जिसकी जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तमिलनाडु राज्य अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता भूमि हड़पने (निषेध) अधिनियम, 1982 या कर्नाटक भूमि हड़पने निषेध अधिनियम, 2011 या अन्य राज्यों अंतर्गत इसी तरह के भूमि हड़पने निषेध अधिनियमों की तरह कोई भूमि हड़पने विरोधी अधिनियम नहीं है।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और असम राज्यों में लागू अन्य भूमि हड़पने

निषेध अधिनियमों में "भूमि हड़पने" को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।यहां तक कि "लैंड ग्रैबर" शब्द को भी परिभाषित किया गया है।उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982 में, "भूमि हड़पना" और "भूमि हड़पना" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:“भूमि हड़पने वाले का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह जो भूमि हड़पना करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी व्यक्ति को भूमि का अवैध कब्जा लेने या उस पर अनधिकृत संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देता है, या जो आपराधिक धमकी के माध्यम से ऐसी भूमि के किसी भी अधिभोगियों से किराया, मुआवजा और अन्य आरोप एकत्र करता है या वसूल करने का प्रयास करता है, या जो उपरोक्त में से किसी भी कार्य को करने में मदद करता है; और इसमें उत्तराधिकारी भी शामिल हैं।

/

/

/

“भूमि हड़पने का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी भूमि (चाहे वह सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, धार्मिक या धर्मार्थ संस्था या बंदोबस्ती से संबंधित हो, जिसमें वक्फ या कोई अन्य निजी व्यक्ति भी शामिल हो) को बिना किसी वैध अधिकार के हड़पने की प्रत्येक गतिविधि और ऐसी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से, या ऐसी भूमि के संबंध में अवैध किरायेदारी या पट्टा और लाइसेंस समझौते या कोई अन्य अवैध समझौते करने या बनाने के लिए, या उस पर बिक्री या किराए के लिए अनधिकृत संरचनाओं का निर्माण करने के लिए, या किसी व्यक्ति को किराए पर या पट्टे और लाइसेंस के आधार पर ऐसी भूमि देने के लिए, या अनधिकृत संरचनाओं के निर्माण, या उपयोग और कब्जे के लिए; और "हड़पने और" शब्द का अर्थ तदनुसार किया जाएगा।

/

/

6. जहाँ तक तमिलनाडु राज्य का संबंध है, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम और/या अधिनियम नहीं है, जैसे कि आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982 और भूमि हड़पने के मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए जी. ओ. संख्या 423 दिनांक 28.07.2011 द्वारा भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।किसी भी दिशा-निर्देश और/या परिभाषा के अभाव में कि कौन से मामले ए

/

/

तमिलनाडु सरकार बनाम आर. थामराइलवम ई. टी. सी. ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.]

इसे भूमि हड़पने के मामले कहा जा सकता है, यह पुलिस को किसी भी भूमि हड़पने के मामले को भूमि हड़पने के मामले के रूप में मानने के लिए निरंकुश और दिशाहीन और मनमाना शक्तियां देता है जिसकी जांच भूमि हड़पने विरोधी विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी।यहां तक कि दो निजी व्यक्तियों के बीच विवाद जो विशिष्ट राहत अधिनियम और/या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अंतर्गत हो सकता है, उसे आपराधिक अपील संख्या 275/2022 की तरह भूमि हड़पने का मामला माना जा सकता है जिसमें एक दीवानी मुकदमा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए लंबित था जिसे गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था और उसके बाद प्रतिवादी ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के लिए शिकायत/प्राथमिकी दर्ज की थी। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित और अवलोकन किया गया है कि किसी विशिष्ट दिशानिर्देश और/या "भूमि हड़पने के मामलों" की परिभाषा के अभाव में, ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है और ऐसी शक्तियों का उपयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ए. पी. भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982 की तर्ज पर कोई भी उचित कानून लाने की स्वतंत्रता के साथ जी. ओ. संख्या 423 दिनांकित (आई. डी. 1) को सही ढंग से अलग कर दिया है या परिभाषित करने और/या दिशानिर्देश प्रदान करने के बाद बेहतर कानून बनाए हैं कि किन अपराधों को "भूमि हड़पने के मामले" कहा जा सकता है।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करते हैं।

/

/

/

7. इन परिस्थितियों अंतर्गत , राज्य द्वारा दायर दीवानी अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।हालाँकि, हम दोहराते हैं कि यदि राज्य सरकार इतनी सचेत है और/या भूमि हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में रुचि रखती है, तो राज्य सरकार के लिए "भूमि हड़पने वाले" और "भूमि हड़पने वाले" या "भूमि हड़पने वाले", "भूमि हड़पने वाले" और "भूमि हड़पने के मामलों" की स्पष्ट परिभाषा के साथ बेहतर कानूनों की स्पष्ट परिभाषा के साथ एक उचित कानून लाने के लिए खुला रहेगा और वर्तमान आदेश इस तरह के कानून और/या बेहतर कानूनों को लागू करने के लिए उनके रास्ते में नहीं आएगा।

/

/

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अपील सं. 275/2022, जो निजी व्यक्तियों के संबंध में थी, जिसके द्वारा पक्षों के बीच आपराधिक मामले को विशेष न्यायालय (भूमि हड़पने)

से नियमित न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है, खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः राखी, एलसीआरए)

/